दिनांक 05.02.2021 को निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा निदेशालय तथा राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान के कर्मियों के कार्यों की समीक्षा बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति – यथा संधारित।

अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षात्मक बैठक में सर्वप्रथम निदेशालय में कार्यरत कुल कम्प्यूटर ऑपरेटरों के संख्या के संबंध में पृच्छा करने पर बताया गया कि आई0टी0 कोषांग के अतिरिक्त निदेशालय में कुल 06 कम्प्यूटर ऑपरेटर कार्यरत हैं। ऐसी बात संज्ञान में आयी है कि किसी कम्प्यूटर ऑपरेटर के पास कार्य अधिक है तों किसी के पास कार्य का अभाव है। यह देखा जा रहा है कि सहायकों द्वारा उक्त 06 कम्प्यूटर ऑपरेटरों के अतिरिक्त आई0टी0 कोषांग में कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटरों से भी कार्य लिया जाता है जिसके फलस्वरूप आई0टी0 कोषांग से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित होता है। इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया कि निदेशालय के कार्यो का सम्पादन आई0टी0 कोषांग के अतिरिक्त पदस्थापित 06 कम्प्यूटर ऑपरेटरों द्वारा ही किया जायगा। आकस्मिक परिस्थिति में बहुत आवश्यक हो तो सहायक निदेशक अथवा उप सचिव से निदेश प्राप्त करने के पश्चात् ही आई0टी0 कोषांग में कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटरों द्वारा कार्य लिया जायेगा। आई0टी0 कोषांग के प्रभारी को निदेश दिया गया कि आई0टी0 कोषांग में कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटरों द्वारा भारत सरकार की योजनाओं से संबंधित आवश्यक इन्ट्री यथा मिसिंग मौजा, एवं अन्य की प्रविष्टि प्राथमिकता के आधार पर ससमय किया जाना सुनिश्चित किया जाय। उक्त के संबंध में अलग से आदेश निर्गत करने का निदेश संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी को दिया गया।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह भी निदेश प्रशाखा पदाधिकारी को दिया गया कि यदि कोई कर्मी बगैर सूचना एवं अवकाश स्वीकृत कराये निदेशालय में अनुपस्थित रहता है तो उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाय एवं स्पष्टीकरण पर निर्णय होने तक उनका उस दिन के वेतन का भुगतान स्थगित रखा जाय।

1. **स्थापना संबंधी कार्य :–**

(i) पूर्व की बैठकों में ए0सी0पी0 / एम0ए0सी0पी0 के संबंध में दिये गए निदेश के आलोक में पृच्छा करने पर बताया गया कि बन्दोबस्त कार्यालयों एवं बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग से प्राप्त प्रस्तावों के संबंध में जाँच की कार्रवाई की जा रही है। इसपर अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया कि निदेशालय अन्तर्गत संलग्न कार्यालयों से ए0सी0पी0 / एम0ए0सी0पी0 से संबंधित जितने भी प्रस्ताव प्राप्त है उन सभी की आवश्यक विवरणी तैयार करते हुए क्रॉस चेक का कार्य अविलम्ब पूर्ण किया जाय तथा दिनांक 19.02.2021 को ए0सी0पी0 / एम0ए0सी0पी0 की बैठक की तिथि निर्धारित करते हुए संबंधित को सूचित किया जाय एवं उक्त से संबंधित भेजे जाने वाले आवश्यक पत्र का प्रारूप शीध्र उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा जानकारी दी गयी कि कुछ बन्दोबस्त कार्यालयों से ए0सी0पी0 / एम0ए0सी0पी0 से संबंधित प्रस्ताव सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) के स्तर से ही निदेशालय को उपलब्ध कराया गया है। इस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा कहा गया कि ए0सी0पी0 / एम0ए0सी0पी0 से संबंधित प्रस्ताव बन्दोबस्त पदाधिकारी के स्तर से उपलब्ध कराने का आदेश निर्गत है के बावजूद यदि बन्दोबस्त कार्यालय द्वारा इस आदेश की अवहेलना की जा रही है तो उनसे कारण पृच्छा करने का निदेश संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी को दिया गया।

(ii) पूर्व की बैठक में दिये गए निदेश के आलोक में ए0डी0एफ0 स्कैनर के क्रय से संबंधित प्रस्ताव शीघ्र उपलब्ध कराने का निदेश आई0टी0 कोषांग के प्रभारी को दिया गया ताकि फोल्डरों के स्कैनिंग का कार्य प्रारंभ हो सके।

(iii) दिनांक 08.02.2021 को आयोजित होने वाले बन्दोबस्त पदाधिकारियों के समीक्षात्मक बैठक हेतु निदेशालय से संबंधित लम्बित मामलों के संबंध में एजेण्डा तैयार कर उक्त बैठक में भाग लेने का निदेश संबंधित सहायकों/प्रशाखा पदाधिकारी को दिया गया ताकि लम्बित मामलों का निपटारा यथाशीघ्र हो सके।

उक्त के अतिरिक्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया कि वैसे बन्दोबस्त कार्यालयों के पदाधिकारियों के साथ भी अलग से बैठक आयोजित करने की कार्रवाई की जाय जो सर्वे कार्य के प्राथमिकता वाले 20 जिलों के अतिरिक्त है ताकि उनसे संबंधित लम्बित कार्यो के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

(iv) निदेशालय में उपलब्ध कम्प्यूटरों का लिस्टिंग के संबंध में पृच्छा करने पर बताया गया कि इस कार्य को पूर्ण कर लिया गया है, इसपर अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया कि कम्प्यूटरों की लिस्टिंग कर संचिका में संधारित करते हुए अगली बैठक के पूर्व अवलोकनार्थ उपस्थापित किया जाय।

(v) निदेशालय अन्तर्गत बन्दोबस्त कार्यालयों से मासिक प्रतिवेदन प्राप्त किये जाने हेतु ऑनलाईन प्रतिवेदन फार्म तैयार करने का निदेश संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी एवं आई0टी0 कोषांग के प्रभारी को दिया गया।

(vi) अधोहस्ताक्षरी द्वारा विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के अवधि विस्तार से संबंधित प्रस्ताव संचिका में उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(vii) सर्वेक्षण कार्य हेतु संविदा अमीनों के 534 पद का परिणाम घोषित किया जा चुका है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा उनके योगदान की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने संबंधी आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(viii) अधोहस्ताक्षरी द्वारा माह–जनवरी में किये गए स्थानान्तरण के संबंध में पूर्व की बैठकों में दिये गए निदेश का अनुपालन नहीं किया जा सका है इसपर अधोहस्ताक्षरी द्वारा पुनः निदेश दिया गया कि वैसे स्थानान्तरित कर्मियों जिनका प्रस्ताव R2R सॉफ्टवेयर के माध्यम से नहीं उपलब्ध कराया गया है सॉफ्टवेयर में आवश्यक प्रविष्टि कराते हुए R2R सॉफ्टवेयर में कर्मियों से संबंधित डाटा को अद्यतन करा लिया जाय।

(ix) संविदा कर्मियों के EPF के आंकड़े को R2R सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि कराने का Provision हेतु आई0टी0 कोषांग के प्रभारी को निदेशित किया गया ताकि संबंधित कार्यालय द्वारा EPF संबंधित आंकड़े की प्रविष्टि करायी जा सके।

(x) बिहार सर्वेक्षण कार्य हेतु नवचयनित संविदा कर्मियों के रोस्टर के संबंध में पृच्छा करने पर बताया गया कि तीन पदों का रोस्टर तैयार हो चुका है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि अगले तीन कार्यदिवसों में रोस्टर को तैयार करते हुए आवश्यक कार्रवाई हेतु अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित किया जाय।

(xi) जिन कर्मियों का पदस्थापन हो चुका है और योगदान नही किये है अथवा जो त्यागपत्र दे चुके हैं की संख्या का आकलन करते हुए आवश्यक प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाय ताकि कुल रिक्ति के संबंध में जानकारी प्राप्त होने के साथ–साथ अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

(xii) उक्त के अतिरिक्त संविदा अमीनों के लिए भी EPF खोलने से संबंधित प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(xiii) अधोहस्ताक्षरी द्वारा कबाड़ हटाने से संबंधित शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करते हुए महीनों से चले आ रहे इस मामले को निष्पादित करने का निदेश दिया गया।

2. <u>विभागीय कार्यवाही</u> – विभागीय कार्यवाही/आरोप/सेवान्त लाभ आदि के संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया कि लम्बित मामलों के निष्पादन में प्रगति लायी जाय। विभागीय कार्यवाही/आरोप/सेवान्त लाभ आदि के संबंध में निम्न जानकारी संबंधित कर्मी द्वारा उपलब्ध करायी गयी :–

विषय	इस सप्ताह प्राप्त मामला	पूर्व में प्राप्त मामला	कुल मामला	पूर्व में निष्पादित मामला	इस सप्ताह निष्पादित मामला	कुल लम्बित मामला
विभागीय कार्यवाही	00	28	28	15	0	13
आरोप	00	51	51	15	0	36
सेवान्त लाभ	00	22	22	00	0	22

संबंधित द्वारा अधोहस्ताक्षरी को बताया गया कि विभागीय कार्यवाही से संबंधित लम्बित मामला निम्न है–

क्र0 सं0	नाम/पदनाम	पदस्थापन कार्यालय	आरोप	अभ्युक्ति
1	श्री वासुकीनाथ प्रसाद, उ0व0लि0	बन्दोबस्त कार्यालय, भागलपुर	तीन सेवानिवृत्त कर्मियों के सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का प्रस्ताव नहीं भेजने के संबंध में।	अधिगम प्राप्त
2	श्री दिलीप कुमार यादव, उ0व0लि0	बन्दोबस्त कार्यालय, भागलपुर	फर्जी अभिलेख का नकल निर्गत करने का आरोप।	अधिगम प्राप्त उपस्थापन
3	श्री देव नरायण लाल दास, उ0व0लि0			अधिगम प्राप्त
4	मो0 शकील जमाली उ0व0लि0	बन्दोबस्त कार्यालय, भागलपुर	अनुशासनहीनता, कार्यालय का कार्य अवरूद्ध करने एवं अभिलेखागार में ताला बन्द करने का आरोप।	अधिगम प्राप्त उपस्थापन
5	मो0 जया कासीफ, उ0व0लि0			
6	मो0 नासिर आलम, उ0व0लि0			
7	श्री आदित्यनाथ झा, नि0व0लि0	बन्दोबस्त कार्यालय, भागलपुर	कदाचार पूर्ण आचरण वित्तीय अनियमितता का आरोप।	अधिगम प्राप्त उपस्थापन
8	श्री सुनील कुमार सिंह, कार्यकारी प्रधान लिपिक	बन्दोबस्त कार्यालय, भागलपुर	अनियमितता एवं उजरत भोगी अमीनों को चुपचाप अनुभव प्रमाण– पत्र निर्गत करने के संबंध में।	
9	श्री सुधीर कुमार दास, स0ब0प0			अधिगम प्राप्त
10	श्री चितरंजन कुमार दास, उ0व0लि0	बन्दोबस्त कार्यालय, भागलपुर सम्प्रति बन्दोबस्त कार्यालय, लखीसराय	अभिलेख में हेरा–फेरी करने के संबंध में।	अधिगम प्राप्त
11	श्री अविनाश किशोर, नि0व0लि0	बन्दोबस्त कार्यालय, मुजफ्फरपुर/खगड़िया	आदेशोल्लंघन के संबंध में।	
12	श्री राकेश कुमार सिन्हा, उ0व0लि0	बन्दोबस्त कार्यालय, भागलपुर	आदेश के अवहेलना आदि के संबंध में।	
13	श्री निरज कुमार सिंह, उ0व0लि0	बन्दोबस्त कार्यालय, नालन्दा/प0चम्पारण (बेतिया)	अनाधिकृत अनुपस्थित रहने, कार्य के प्रति अभिरुचि नहीं रखने तथा कर्मचारी/पदाधिकारी के साथ उदण्ड आचरण के संबंध में।	

अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया कि अगली बैठक के पूर्व निदेशालय को अधिगम प्राप्त सभी मामले का उपस्थापन अगली बैठक के पूर्व सुनिश्चित किया जाय।

3. <u>सूचना के अधिकार से संबंधित</u> – पृच्छा करने पर बताया गया कि इससे संबंधित कुल 40 मामले पहले से लम्बित है एवं 06 नये मामले लम्बित है जिसके निष्पादन में तेजी लाने का निदेश दिया गया। अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह भी निदेश दिया गया कि यदि सूचना का अधिकार निदेशालय से संबंधित नहीं हो तो संबंधित कार्यालय को शीघ्र Transfer करना सुनिश्चित किया जाय।

4. **न्यायालय संबंधी कार्य :–** सी0डब्लू0जे0सी0, एम0जे0सी0, एल0पी0ए0 आदि मामलों का प्राथमिकता देते हुए निष्पादित करने का निदेश दिया गया। उक्त से संबंधित निम्न लम्बित मामला के संबंध में जानकारी संबंधित कर्मी द्वारा उपलब्ध करायी गयी :–

विषय	इस सप्ताह प्राप्त मामला	पूर्व में प्राप्त मामला	कुल मामला	इस सप्ताह निष्पादित	पूर्व में निष्पादित मामला	कुल लम्बित मामला
सी0डब्लू0जे0सी0	00	32	32	01	24	07
एम0जे0सी0	00	05	05	0	02	03
एल0पी0ए0	00	03	03	01	00	00
अन्य मामला	00	00	00	0	0	00

सी0डब्लू0जे0सी0 से संबंधित लम्बित मामलों की सूची निम्नवत उपलब्ध करायी गयी:–

	वाद का प्रकार	वाद की संख्या / वर्ष	वादी का नाम	विभाग	करणत्व (संबंधित कार्यालय)	विषय
1	2	3	4	5	6	7
1	CWJC	CWJC No. --------/2017	श्री पंकज कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	निदेशालय, भू–अभिलेख एवं परिमाप	अपर समाहर्त्ता, समस्तीपुर अंचलाधिकारी, समस्तीपुर सदर	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के संबंध में
2	CWJC	CWJC No. --------/2017	श्री लक्ष्मण बनाम बिहार राज्य एवं अन्य		समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण (बेतिया) / पूर्वी चम्पारण (मोतीहारी)	पैतृक सम्पति मौजा बंसतपुर थाना न0 11 / समनपुरा थाना न0 12 भूमि विवाद के संबंध में।
3	C.M	W.P No. 35881 /2017	मोहन लाल शर्मा एवं अन्य बनाम भारत सरकार एवं अन्य		समाहर्त्ता–सह–बन्दोबस्त पदाधिकारी, सिवान	उत्तर प्रदेश बिहार सीमा विवाद के संबंध में
4	CWJC	CWJC No 8304/2018	महेन्द्र प्रसाद यादव बनाम बिहार राज्य एवं अन्य		समाहर्त्ता –सह– बन्दोबस्त पदाधिकारी, पटना	
5	CWJC	CWJC No --------/2019	उज्जवल कुमार सुमन बनाम बिहार राज्य एवं अन्य		समाहर्त्ता –सह– बन्दोबस्त पदाधिकारी, गया	Mutation of Land
6	CWJC	CWJC No 9410/2018	विजय दूबे बनाम बिहार राज्य एवं अन्य		समाहर्त्ता –सह– बन्दोबस्त पदाधिकारी, गोपालगंज	
7	CWJC	CWJC No ..../2020	श्री हरेन्द्र कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य		निदेशालय, भू–अभिलेख एवं परिमाप	संविदा विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के नियोजन

एम0जे0सी0 एवं एल0पी0ए0 से संबंधित लम्बित मामलों की सूची निम्नवत उपलब्ध करायी गयी:–

क्र0 सं0	वाद का प्रकार	वाद की संख्या / वर्ष	वादी का नाम	विभाग	करणत्व (संबंधित कार्यालय)	विषय
1	2	3	4	5	6	7
1	MJC	MJC No. …./2019	मेसर्स पंचशील सॉफ्टवेयर बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना।	समाहर्त्ता, पटना	भुगतान के संबंध में।
2	MJC	MJC No. …./2019	सब्बीर अहमद बनाम बिहार राज्य एवं अन्य		भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना।	भुगतान के संबंध में।
3	MJC	MJC No. 4527/2019	रूकमणि कुमारी एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य		समाहर्त्ता –सह– बन्दोबस्त पदाधिकारी, पटना	सेवानिवृत्ति लाभ

अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया कि लम्बित मामलों के निष्पादन की गति काफी धीमी है। उक्त न्यायालय से संबंधित लम्बित मामलों का शीघ्र निष्पादन का निदेश दिया गया।

5. <u>लेखा संबंधी कार्य :–</u>

(क) अंकेक्षण दल द्वारा उठाये गए महत्वपूर्ण आपत्तियों के Compliance के संबंध में पृच्छा करने पर बताया गया कि 03 आपत्तियाँ अभी भी लम्बित है जिसमें एक आपत्ति बिहार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के लेखापाल के स्तर पर लम्बित है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि लेखापाल के पारिश्रमिक से 25 प्रतिशत राशि की कटौती किया जाय। शेष 02 आपत्तियों के संबंध में संबंधित सहायक द्वारा संतोषजनक जबाब नहीं दिया गया कि वे किसके पास लम्बित हैं। इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया कि सहायक निदेशक अपने स्तर से इस संबंध में बैठक कर सभी आपत्तियों का निष्पादन करेंगे। अन्यथा की स्थिति में यदि कोई विपरित कार्रवाई होती है चाहे ए0जी0 कार्यालय से अथवा लोक लेखा समिति से तो इसके लिए संबंधित सहायक ही जिम्मेदार माने जायेंगे।

(ख) अधोहस्ताक्षरी द्वारा मासिक विपत्र यथा – विद्युत, दूरभाष इत्यादि के भुगतान के संबंध में पृच्छा करने पर बताया गया कि संबंधित सारे विपत्रों का भुगतान ससमय किया जा रहा है।

(ग) अधोहस्ताक्षरी द्वारा पूर्व की बैठक में दिये गए निदेश के आलोक में राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर के Admin Block एवं छात्रावास हेतु विद्युत मीटर अलग करने संबंधी कार्य पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

(घ) लम्बित विपत्रों के संबंध में पृच्छा करने पर संबंधित सहायक द्वारा बताया गया आवंटन के अभाव में कुछ विपत्र लम्बित थे। आवंटन प्राप्त हो चुका है एवं जल्द ही लम्बित सारे विपत्रों के भुगतान कर दिया जायेगा।

(ङ) स्थायी अग्रिम के संबंध में पृच्छा करने पर बताया गया कि 48,000 रूपये सामंजन हेतु शेष है।

(च) मार्बल की छपाई के संबंध में पृच्छा करने पर संबंधित द्वारा बताया गया कि कोटेशन संबंधी कार्य कर लिया गया है एवं अगली बैठक के पूर्व इस कार्य का निपटारा निश्चित रूप से कर दिया जाएगा।

(छ) पूर्व में दिये गए निदेश के बावजूद कार्यालय उपयोग हेतु office 365 सॉफ्टवेयर क्रय का प्रस्ताव उपलब्ध नहीं कराया जा सका है जिसे शीघ्र उपस्थापित करने का निदेश संबंधित को दिया गया।

(ज) अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह भी निदेश दिया गया कि प्राप्त पत्रों का निष्पादन एवं सभी कर्मियों का लॉग बुक की जाँच करते हुए प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदन साप्ताहिक बैठक में उपलब्ध कराया जाय।

6. <u>आगत शाखा से संबंधित :–</u>

आगत शाखा के संबंध में पृच्छा करने पर संबंधित कर्मी द्वारा बताया गया कि वर्ष 2021 में कुल 1573 पत्र (निदेशक – 973 एवं सहायक निदेशक – 600) निदेशालय को प्राप्त हुए थे। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि सभी प्राप्त पत्रों का डायरी कर संबंधित सहायक को उपलब्ध करा दिया गया है।

7. <u>निर्गत शाखा से संबंधित :–</u>

निर्गत शाखा के संबंध में पृच्छा करने पर संबंधित कर्मी द्वारा बताया गया कि वर्ष 2021 में कुल 370 पत्र निर्गत किया गया है, जिसमें दिनांक 16.01.2021 से दिनांक 05.02.2021 तक 242 पत्रों को निर्गत किया गया है जिसमें 14 पीत–पत्र भी संलग्न है। उक्त पत्रों को निबंधित डाक/सामान्य डाक/ई–मेल के माध्यम से संबंधित को उपलब्ध करा दिया गया है।

8. बजट से संबंधित

(क) त्रिसीमाना पिलर हेतु बजट हेड के संबंध में पृच्छा करने पर संबंधित सहायक द्वारा बताया गया कि इस हेड का सृजन कर लिया गया है एवं राशि की डिमान्ड वर्ष 2021–22 के लिए किया जा चुका है।

(ख) बजट के संबंध में पृच्छा करने पर बताया गया कि अगले वित्तीय वर्ष के बजट का आकलन कर उपलब्ध करा दिया गया है। इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया कि उप सचिव, सहायक निदेशक एवं प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा भी बजट हेड या अन्य की जाँच कर लिया जाय ताकि यदि कोई संशोधन की आवश्यकता हो तो किया जा सके।

9. बेल्ट्रॉन से संबंधित

(क) अंचलों में कार्यरत डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों के संबंध में पृच्छा करने पर बताया गया कि उनके लम्बित मानदेय का भुगतान किया जा रहा है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रशाखा पदाधिकारी को कम्प्यूटर ऑपरेटरों के भुगतान प्रक्रिया में यदि कोई संशोधन की आवश्यकता हो तो इसके संबंध में आवश्यक प्रस्ताव उपलब्ध कराने का भी निदेश दिया गया।

(ख) अंचलों के लिए बेल्ट्रॉन के डाटा इन्ट्री ऑपरेटर की समेकित अधियाचना की स्थिति स्पष्ट करते हुए कुल संख्या का आंकलन कर आवश्यक प्रस्ताव बेल्ट्रॉन को उपलब्ध कराने हेतु उपस्थापित करने का निदेश अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिया गया। लम्बित स्थानान्तरण के संबंध में आवश्यक निदेश देने के संबंध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाय।

(ग) अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रमंडलीय समीक्षात्मक बैठक में भाग लिया जाता है। इसपर संबंधित को निदेश दिया गया की संबंधित जिलों/अंचलों के कम्प्यूटर आपरेटर से संबंधित कोई मामला लम्बित हो तो उसकी विवरणी बैठक के पूर्व आवश्य ही उपलब्ध करा दिया जाय ताकि संबंधित प्रमण्डल की समीक्षात्मक बैठक में इसे रखा जा सके और लम्बित मामले का निपटारा किया जा सके।

10. बिहार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट

(क) हेल्प लाइन की संचालन प्रक्रिया के संबंध में पृच्छा करने पर बिहार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के सहायक द्वारा बताया गया कि इस संबंध में विभाग से पीत–पत्र फ्लो चार्ट के साथ प्राप्त हुआ है। इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया कि संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी से आवश्यक विमर्श करते हुए हेल्प लाइन की संचालन प्रक्रिया का प्रस्ताव उपस्थापित किया जाय। यदि किसी बिन्दु पर संशय हो तो अधोहस्ताक्षरी से विमर्श करने का भी निदेश दिया गया।

(ख) अपूर्ण आधुनिक अभिलेखागार के संबंध में पृच्छा करने पर संबंधित द्वारा बताया गया कि अपूर्ण आधुनिक अभिलेखागार को पूर्ण कराने के संबंध में पत्र भेज दिया गया है। अधोहस्ताक्षरी के समक्ष वर्ष 2015 का estimate वर्त्तमान वर्ष (2021) में उपस्थापित किया गया। इस संबंध में संबंधित सहायक एवं प्रशाखा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि इस प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाय एवं संचिका उपस्थापन के समय अवलोकन आवश्य ही कर लिया जाय। यदि कोई संशय हो तो संचिका उपस्थापन के समय अधोहस्ताक्षरी से विमर्श भी किया जा सकता है।

(ग) पूर्व की बैठक में बिहार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के लेखा के संधारण हेतु टैली सॉफ्टवेयर के क्रय के संबंध में पृच्छा करने पर बताया गया कि दिनांक 08.02.2021 तक इसे क्रय कर लिया जायेगा। अधोहस्ताक्षरी द्वारा पृच्छा करने पर जानकारी दी गयी कि कैश बुक को अद्यतन कर लिया गया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया कि बिहार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के लेखा से संबंधित सारे आंकड़े की प्रविष्टि टैली सॉफ्टवेयर में भी की जाय।

सभी कर्मियों को सम्बन्धित प्रतिवेदन के साथ ही बैठक में शामिल होने के निदेश के साथ अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

(जय सिंह) 11/2/21
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 20 / गो0 पटना, दिनांक 11-02-2021

प्रतिलिपि :– सहायक निदेशक / प्रशाखा पदाधिकारी / संबंधित कर्मी, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय / राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक 11/2/21

ज्ञापांक :– 20 / गो0 पटना, दिनांक 11-02-2021

प्रतिलिपि :– प्रभारी, आई0टी0 कोषांग, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं निदेशालय के वेबसाइट पर प्रकाशित कराने हेतु प्रेषित।

निदेशक 11/2/21